न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 06 / 2023

उनवान

1. श्री टेमकंवर पत्नि श्री मनोहर सिंह नि0 पीपली।
2. कौशल्या कंवर पुत्री श्री मनोहर सिंह नि0 पीपली।
3. जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह नि0 पीपली।
4. नरेन्द्र कंवर पुत्र श्री मनोहर सिंह नि0 पीपली।
5. नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ओम सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह चौहान नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
2. जगदीश पुत्र श्री रामलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
3. भंवर लाल पुत्र श्री रामलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
4. राधेश्याम पुत्र श्री रामलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
5. जमना लाल पुत्र श्री रामलाल नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
6. बद्रीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
7. गोपाली बाई पत्नि श्री जगदीश ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
8. सत्यनारायण पुत्र श्री जगदीश ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
9. रामेश्वर पुत्र श्री मांगीलाल ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
10. नानू पुत्र श्री छीतर ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
11. सुरेश पुत्र श्री जमनालाल ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
12. सांवरलाल पुत्र श्री जमनालाल ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
13. हीरालाल पुत्र श्री छीतर ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
14. रामकुंवर पुत्र श्री जमनालाल ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
15. गोपाल पुत्र श्री केशु ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
16. जगदीश पुत्र श्री मथरा ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
17. नाना पुत्र श्री मथरा ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
18. रामलाल पुत्र श्री मथरा ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
19. लादू सिंह पुत्र श्री मथरा ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
20. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री हरि सिंह नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
21. संग्राम सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
22. कालु पुत्र श्री गोरू गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ ।
23. फूमा देवी पत्नि श्री गोरू गाडरी नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. गंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 157 की आ.न. 1213 रकबा 5.9179 है0, आ.न. 1312 / 1088 रकबा 2.2888 है0, आ.न. 1326 / 1214 रकबा 0.5437 है0, आ.न. 1326 / 1214 रकबा 0.5437है0, एवं खाता संख्या 111 की आराजी नम्बर 1088 / 1 रकबा 1.6059 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.01.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 23 वावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्त्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम पीपली प.ह. पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 157 की आ.न. 1213 रकबा 5.9179 है0, आ.न. 1312/1088 रकबा 2.2888 है0, आ.न. 1326/1214 रकबा 0.5437 है0, आ.न. 1326/1214 रकबा 0.5437है0, एवं खाता संख्या 111 की आराजी नम्बर 1088/1 रकबा 1.6059 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1800/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ